न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

श्री मूलिया पुत्र भोमा जी, जाति- ढोली, निवासी- जैला, तहसील व जिला- सिरोही

राजस्व निगरानी संख्या: 02/2020

''प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि-आवंटन) नियम, 1970''

उपस्थिति:

1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 09 फरवरी, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही के पत्र क्रमांक/राजस्व/2020/1792 दिनांक 22.9.2020 के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध ग्राम जैला के वर्तमान खाता संख्या 166 खसरा संख्या 424 रकबा 1.6600 हेक्टेयर (जिसके पुराने खसरा संख्या 283 रकबा 11.00 बीघा है) किस्म बारानी-1 का अप्रार्थी के पिता श्री भोमा पुत्र राजा जी, जाति-ढोली, निवासी-जैला को कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी मूलिया पुत्र भोमा जी, जाति- ढोली, निवासी- जैला को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुआ एवं न ही अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। जिससे अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

(3) पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी एवं अप्रार्थी के पिता द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त नही की है व न ही मौके पर कब्जा है। अप्रार्थी का संवत 2034 से 2054 तक आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है। अप्रार्थी/आवंटिती द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भी उक्त भूमि अप्रार्थी के नाम से बतौर गैरखातेदार दर्ज है, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई [illegible] मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक [illegible] एवं [illegible] गया तो यह पाया गया कि ग्राम जैला, पटवार हल्का जैला के पुराने खसरा [illegible] संख्या 283 रकबा 11.00 बीघा (जिसके वर्तमान खसरा संख्या 424 रकबा 1.66 हैक्टेयर किस्म बारानी [illegible] भूमि का अप्रार्थी

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:05 IST
Reason: SelfAttested

के पिता श्री भोमा पुत्र राजा जी, जाति- ढोली, निवासी- जैला को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। यह भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 में अप्रार्थी मूलिया के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज है।

प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह पाया गया कि आवंटित भूमि पर संवत 2034 से 2054 तक में काश्त दर्ज नही है, लेकिन खसरा गिरदावरी संवत 2063 में आवंटित भूमि रकबा 11.00 बीघा पर गवार की फसल की काश्त की जाना अंकित है। तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हल्का पटवारी, जैला की मौका रिपोर्ट दिनांक 17.9.2020 में आवंटित भूमि पर मौके अनुसार 5-7 वर्षो से खेती नही होना अंकित किया है। इस प्रकार, हल्का पटवारी, जैला की रिपोर्ट भी अस्पष्ट व अपूर्ण है और ऐसा प्रतीत होता है कि हल्का पटवारी ने मात्र कयास के आधार पर मौका रिपोर्ट तैयार की है। हल्का पटवारी, जैला द्वारा मौका किस व्यक्ति के समक्ष देखा गया है, उसका उल्लेख भी मौका रिपोर्ट में नही है।

अत: प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार, सिरोही स्वयं आवंटित भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करके अपने स्तर पर यह निर्णय लेवे कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है अथवा नही? तथा यदि आवंटित भूमि के मौके पर अप्रार्थी का वास्तविक रुप में कब्जा व काश्त नही है तो तहसीलदार, सिरोही पुन: नियमानुसार प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

9/2/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:05 IST
Reason: SelfAttested